<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 64/2021

(सी.आई.एस.नं.-64/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- परमानन्द पुत्र श्यामलाल, उम्र 57 वर्ष, निवासी चितावा व

2- यासीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद यासीन उर्फ बबलू पुत्र रोशन अली, उम्र 42 वर्ष, निवासी सारोलाकलां, पुलिस थाना सारोलाकलां, जिला-झालावाड़ (राज.)

3- **उदयलाल पुत्र श्यामलाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी चितावा, पुलिस थाना सारोलाकलां, जिला-झालावाड़ (राज.) – (फौत) – अभियुक्तगण**

अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. एवं

धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री ललित शर्मा व श्री अरूण डोटिया, अधिवक्ता, अभियुक्त परमानन्द की ओर से।

3- श्री धीरजसिंह झाला, श्री अजीतसिंह झाला, श्री प्रणय झाला व खैरूनिशा, अधिवक्ता, अभियुक्त यासीन मोहम्मद की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 12.03.2026**

नोटः- प्रकरण में अभियुक्त **उदयलाल** की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है तथा यह निर्णय अभियुक्तगण परमानन्द उर्फ पप्पू व यासीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद यासीन उर्फ बबलू के संबंध में किया जा रहा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 09.12.2019 को परिवादिया कजोड़ीबाई पत्नी गोपाल, निवासी समरोल, तहसील खानपुर जिला-झालावाड़ द्वारा प्रस्तुतशुदा एक टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-1), श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से दिनांक 03.02.2020 को पुलिस थाना सारोला कलां पर इस आशय के तथ्यों का प्राप्त हुआ कि वह निवासी समरोल, तहसील खानपुर,

जिला-झालावाड़ की निवासी है। उसके द्वारा मुलजिमान उदयलाल एवं परमानन्द उर्फ पप्पू पिसरान श्यामलाल, जाति नाई, निवासीगण चितावा तहसील खानपुर, जिला-झालावाड़ से उनके खाते की ग्राम बन्या, तहसील खानपुर स्थित खसरा नं.- 411, 413, 414, 415, 548, 55, 133, 416, 431, 433, 434, 435, 436, 479, 480, 520, 545, 549 की कुल 12 बीघा 02 बिस्वा आराजी का सौदा मुलजिम यासीन मोहम्मद पुत्र रोशन अली, जाति मुसलमान, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर के माध्यम से 27,00,000/-रूपये में किया था, जिसमें से मुलजिम उदयलाल एवं परमानन्द उर्फ पप्पू द्वारा 4 बीघा आराजी की रजिस्ट्री उसके पक्ष में दिनांक 29.09.2017 को उप-पंजीयक, खानपुर के कार्यालय में करवाई थी तथा शेष आराजी की रजिस्ट्री कुछ समय बाद किये जाने का आश्वासन उसको दिया था तथा मुलजिमान उदयलाल एवं परमानन्द उर्फ पप्पू द्वारा शेष आराजी की रजिस्ट्री कुछ समय में करवाकर सम्पूर्ण आराजी का कब्जा उसको संभलाने का आश्वासन मुलजिमान द्वारा उसको दिया गया था। किन्तु इसके बाद उसके द्वारा कई बार उक्त तीनों मुलजिमान से सम्पर्क करने के बाद भी मुलजिमान द्वारा न तो उक्त सम्पूर्ण 12 बीघा 2 बिस्वा आराजी का कब्जा उसको संभलाया और न ही शेष आराजी का विक्रय पत्र उसके पक्ष में निष्पादित कराया। उसके द्वारा मुलजिमान से कई बार सम्पर्क करने के बाद मुलजिमान द्वारा दिनांक 14.07.2018 को एक इकरारनामा उसके पक्ष में इस आशय का आलेखित किया कि वे इकरार की तारीख से 2 माह में उक्त 12 बीघा 2 बिस्वा आराजी का कब्जा उसको संभलायेंगे या फिर विक्रय की राशि 27,00,000/-रूपये उसको वापस अदा करेंगे अन्यथा उनके मकान का कब्जा उसको संभला देंगे। किन्तु इसके बाद इकरार के मुताबिक दिनांक 14.09.2018 के निकलने के बाद भी मुलजिमान द्वारा न तो उसको उक्त 12 बीघा 2 बिस्वा आराजी का कब्जा संभलाया है एवं न ही उनके मकान का कब्जा संभलाया है और न ही विक्रय प्रतिफल की राशि 27,00,000/-रूपये उसको अदा किये है। इस प्रकार मुलजिमान द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी कर उसकी राशि को हड़प कर लिया है तथा अब न तो उसे शेष आराजी का विक्रय पत्र उसके पक्ष में निष्पादित करवा कर सम्पूर्ण आराजी का कब्जा उसको संभला रहे है एवं न ही राशि लौटा रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुलजिमान उदयलाल एवं परमानन्द उर्फ पप्पू एवं यासीन मोहम्मद के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जावे, इत्यादि।

2- उक्त आशय के तथ्यों की टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सारोला कलां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-23/2020, अन्तर्गत धारा

420, 406 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त **उदयलाल** पुत्र श्यामलाल की दिनांक 09.12.2020 को मृत्यु हो जाना जानकारी में आने पर, उसका ग्राम पंचायत मालनवास से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया। बाद अनुसंधान दिनांक 17.03.2021 को अभियुक्त उदयलाल के तस्दीकशुदा मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उसके विरूद्ध प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही **ड्रोप** करते हुए, शेष अभियुक्तगण परमानन्द उर्फ पप्पू व मोहम्मद यासीन उर्फ यासीन मोहम्मद उर्फ बबलू के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 09.12.2021 को अभियुक्तगण को धारा 420, 406 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में गवाह पी.ड.-1 कजोड़ी बाई, पी.ड.-2 गोपाल, पी.ड.-3 लालचन्द, पी.ड.-4 सीताराम, पी.ड.-5 राकेश, पी.ड.-6 बालमुकुन्द, पी.ड.-7 भंवरसिंह, पी.ड.-8 दुर्गाशंकर, पी.ड.-9 राजीव परिहार व पी.ड.-10 सोजीलाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1, परिवादिया का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-2, फर्द पेशकशी व जब्ती दस्तावेज प्रदर्श पी.-3, मुलजिम परमानन्द से किया गया इकरारनामा प्रदर्श पी.-4, यासीन द्वारा किया गया इकरार नामा प्रदर्श पी.-5, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम परमानन्द उर्फ पप्पू प्रदर्श पी.-6, खाता सं.-130 की जमाबन्दी प्रदर्श पी.-7, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी.-8, खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी.-9, खाता सं.-133 की जमाबन्दी प्रदर्श पी.-10, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी.-11, खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी.-12, खाता सं.-165 की जमाबन्दी प्रदर्श पी.-13, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी.-14, खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी.-15 व मृत्यु प्रमाण पत्र अभियुक्त उदयलाल प्रदर्श पी.-16 को प्रदर्शित करवाया गया।

5- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए, गवाहान द्वारा झूठ बोलना व उसका निर्दोष होना बताते हुए, साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, परन्तु अवसर दिये

जाने के बावजूद कोई सफाई सबूत पेश नहीं करना जाहिर करने पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गयी।

7- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

8- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया के साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की है, ना ही कोई राशि हड़पने का प्रयास किया है। परिवादिया पी.ड.-1 कजोड़ीबाई द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट से विरोधाभासी कथन अपने बयानों में किये है, जिससे अभियोजन कहानी सन्देहास्पद हो जाती है। हस्तगत प्रकरण से संबंधित आराजी का एस.डी.ओ. कोर्ट खानपुर में मुकदमा चल रहा है, जिसमें स्टे का आदेश हो रहा है और स्टे की वजह से इंतकाल नहीं खुल पा रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः-

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 29.09.2017 को दिन के किसी समय मौजा समरोल में परिवादिया कजोड़ीबाई को कपट पूर्वक या बईमानी से बन्या स्थित आराजी खसरा संख्या 411, 413, 414, 458, 55, 133, 416, 431, 433, 434, 435, 436, 379, 380, 520, 545, 549 की उदयलाल व परमानन्द के हिस्से की 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि का सौदा अभियुक्त यासीन मोहम्मद के माध्यम से 27,00,000/-रूपये में तय कर उक्त रकम प्राप्त कर स्टाम्प पर लिखा-पढ़ी कर और तत्पश्चात् उक्त भूमि में से केवल चार बीघा की ही रजिस्ट्री परिवादिया के नाम करवाई व शेष भूमि परिवादिया के नाम नहीं करवाकर उक्त राशि परिदत्त करने हेतु परिवादिया को उत्प्रेरित कर छल किया तथा परिवादिया द्वारा उक्त रकम की मांग करने पर अभियुक्तगण द्वारा

रकम नहीं लौटाकर अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग किया ?''

11- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.-1 कजोड़ी बाई स्वयं परिवादिया है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 4-5 साल पुरानी बात है। उसने नाईयों की जमीन खरीदी थी तथा उसका 27,00,000/-रुपये का भुगतान भी बबल्या मुसलमान को कर दिये थे। भुगतान बन्या गांव में किया था। भुगतान नकद किया था। पैसे देते समय वहां पर उसका पति गोपाल व उसके बेटे सीयाराम, रामकल्याण, मोरसिंह मौजूद थे। इनको पूरी घटना याद है। उन्होंने 12 बीघा जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने बाबत कोई लिखा-पढी नहीं की। बबल्या मुसलमान ने 4 बीघा जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम करवा दी, परन्तु कब्जा नहीं दिलाया था। मुसलमान ने उससे कहा था कि अगर सौदा नहीं हुआ, तो वह अपना मकान आपको दे दूंगा। उसने 4 महीने का नाम लिया था, परन्तु 4 महीने बाद उसने ना तो जमीन दी, ना ही पैसा दिया और ना ही मकान दिया। उसने उस मुसलमान से पैसे मांगे थे, तो उसने कहा कि कोई टेंशन नहीं है, तुम जमीन हांक लो। उन्होंने इस बाबत रिपोर्ट दी, जो प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसका अंगूठा निशानी है। उसने पुलिस को उसका जाति प्रमाण पत्र दिया, जो प्रदर्श पी.-2 है। उसके पति गोपाल ने पुलिस को कागज दिये, जिसकी फर्द पेशकशी प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। चार बीघा जमीन की रजिस्ट्री की फोटो प्रति पत्रावली में है, असल कहां है उसे पता नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि बबल्या को पैसे दिये थे, इस बाबत उसे उसके घर वालों ने उसे बताया था। आगे स्वीकार किया है कि पैसे उसके सामने नहीं दिये थे। आगे स्वीकार किया है कि जिन नाईयों की जमीन थी, उनको वह नहीं जानती। आगे कथन किया है कि मुसलमान ने नाईयों को रुपये दिये या नहीं दिये यह उसकी जानकारी में नहीं है। आगे स्वीकार किया है कि एस.डी.ओ. खानपुर में मुकदमा चल रहा है और उसमें स्टे हो रहा है तथा स्टे के कारण शेष जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई। आगे स्वीकार किया है कि उन्होंने नाईयों को कोई पैसे नहीं दिये। आगे स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी.-1 उदयलाल व परमानन्द द्वारा करवाई गई जमीन की रजिस्ट्री है, जिस पर एक्स व वाई स्थान पर उसका फोटोग्राफ व जेड स्थान पर दो जगह उसका अंगूठा निशानी है।

12- गवाह पी.ड.-2 गोपाल परिवादिया का पति है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह समरोल गांव में रहता है, खेती बाडी करता है। उसकी जमीन समरोल में

थी, जिसके डूब में आ जाने से मुआवजा मिला था और वह दूसरी जमीन खरीदना चाहता था। रोशन जी के पुत्र जिसे बबलू भी कहते हैं, इससे उन्होंने नाईयों की जमीन खरीदने की बात की और इसने बन्या गांव में नाई की 12 बीघा 20 बिस्वा जमीन 27,00,000/-रुपये में उन्हें दिलवाई थी। उसने उन्हें बताया कि परमानन्द व उदयलाल के पास जमीन है वह जमीन वह उन्हें दो लाख रुपये बीघा से दिलवा देगा। रजिस्ट्री इसने 18,00,000/-रुपये की करवाई और 27,00,000/-रुपये लिये थे। रजिस्ट्री 12 बीघा की करवा दी थी। रुपये उन्होंने मोहम्मद यासीन उर्फ बबलू को दिये थे और इसने उन्हें कब्जा दिलवाने का आश्वासन दिया था। साढे चार बीघा का इन्तकाल उनके नाम खुल गया था, लेकिन कब्जा नहीं मिला था। जब उन्होंने परमानन्द व उदयलाल से कहा तो उन्होनें कहा कि तुम यासीन से बात करो। जब वे जमीन हांकने गये, तो परमानन्द व उदयलाल ने जमीन हांकने नहीं दी। फिर मुलजिमान ने उनका फोन उठाना बन्द कर दिया। उन्होंने 12 महीने बाद स्टाम्प लिखाया था कि या तो दो महीने में जमीन दे देगें या फिर पैसे वापस कर देगें। लेकिन ना तो जमीन खाते लगवाई और ना रकम वापस की। मूल स्टाम्प पुलिस ने उसके द्वारा पेश करने पर जब्त किये थे, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम परमानन्द से किया गया इकरारनामा प्रदर्श पी.-4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। यासीन द्वारा किया गया इकरारनामा प्रदर्श पी.-5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि यासीन ने परमानन्द की जमीन खरीदने का सौदा करवाया था और जमीन की रजिस्ट्री उसने उसकी पत्नी कजोडी बाई के नाम करवाई थी। आगे स्वीकार किया है कि उसने यासीन को रुपये दिये थे और यासीन ने परमानन्द को दिये तथा यासीन व परमानन्द के बीच क्या बातचीत हुई, उसे पता नहीं है। आगे स्वीकार किया है कि यासीन ने कहा था कि रजिस्ट्री करवा दूंगा और उसने उसकी पत्नी के नाम रजिस्ट्री भी करवा दी। आगे स्वीकार किया है कि परामानन्द व उदयलाल ने रजिस्ट्री राजीखुशी उनके नाम करवा दी थी। आगे स्वीकार किया है कि परमानन्द व उदयलाल ने जमीन पर उन्हें आने से व कब्जा संभलाने से कभी मना नहीं किया। आगे स्वीकार किया है कि जमीन पर आने से रोकने वाले अन्य लोग थे। आगे स्वीकार किया है कि जमीन का एक राजस्व दावा खानपुर अदालत में चल रहा है और खानपुर अदालत में राजस्व दावा होने से परेशान होकर उन्होंने यह केस किया। आगे स्वीकार किया है कि खानपुर राजस्व न्यायालय ने जमीन पर स्टे लगा रखा है। आगे स्वीकार किया है कि पैसे देते समय उन्होंने किसी प्रकार की लिखापढी नहीं की थी।

13- गवाह पी.ड.-3 लालचन्द परिवादिया का भानेज है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 4-5 साल पहले की बात है। वह दादिया रहता है। उसके मामाजी गोपाल ने बनिया में परमानन्द, पप्पू, उदय नाई की जमीन ली थी। इस जमीन का सौदा बबलू ने कराया था जो सारोला का था। जमीन 27 लाख रूपये में खरीदी थी। बबलू व परमानन्द वगैराह ने कहा था कि रजिस्ट्री के बाद आपका इंतकाल खुलवा देंगे और कब्जा आपको दे देंगे। इसके 6 महीने बाद उसने बबलू व पप्पू से बोला कि या तो जमीन का कब्जा संभलवा दो या उनके पैसे वापस दे दो। जमीन का सौदा करने के बाद उक्त आराजी पर राजस्व न्यायालय में केस चला था। उसके बाद उसके मामाजी व उसे सारोला बुलाया और बबलू व उदयलाल से विवादित आराजी के संबंध में स्टाम्प लिखवाया था। फर्द जब्ती स्टाम्प प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त स्टाम्प प्रदर्श पी.-4 व पी.-5 है, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अभी तक भी मुलजिमान ने उसके मामाजी को ना ही जमीन संभलायी और ना ही पैसे वापस दिये है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जमीन मालिक ने सारोला तहसील में जाकर जितनी जमीन की बात हुयी थी उतनी जमीन की रजिस्ट्री करवा दी थी। आगे स्वीकार किया है कि जमीन मालिक ने कभी जमीन पर आने से मना नहीं किया। आगे स्वीकार किया है कि रजिस्ट्री होने के बाद खानपुर राजस्व न्यायालय में इस जमीन का केस चल रहा है तथा खानपुर वाले केस में न्यायालय ने जमीन पर स्टे दे रखा है तथा उस स्टे की वजह से इंतकाल नहीं खुल पा रहा हो तो उसे पता नहीं। आगे स्वीकार किया है कि जमीन का पूरा पेमेंट कब किस समय दिया गया यह उसकी जानकारी में नहीं है। आगे स्वीकार किया है कि उसके सामने उसके मामाजी की जमीन के संबंध में मुलजिमान से बात नहीं होती थी।

14- गवाह पी.ड.-4 सीताराम परिवादिया का भानेज है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2 साल पहले की बात है। उसके मामाजी गोपाल ने जमीन का सौदा बबलू से किया था। जमीन नाईयों की थी। जमीन की रजिस्ट्री उसकी मामीजी के नाम करवायी थी। जमीन का सौदा 27 लाख रूपये में हुआ था। नाईयों ने जमीन का कब्जा उसके मामाजी को नहीं संभलाया था। फिर मुलजिमान ने उसके मामीजी के नाम स्टाम्प की लिखा-पढी करवायी थी कि अगर पैसे वापस नहीं दूंगा तो मकान बेचकर पैस दूंगा। जमीन का कब्जा अभी तक उसके मामाजी को नहीं संभलाया और ना ही पैसे वापस दिये है। बाद में इस जमीन पर उनके किसी रिश्तेदार ने स्टे ले लिया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा

की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसे इस पूरे प्रकरण की जानकारी तब हुयी जब कब्जा संभलाने की बात आयी। आगे स्वीकार किया है कि उसकी जानकारी में यह आया था कि खानपुर राजस्व न्यायालय में इस जमीन पर स्टे हो गया था, इस कारण इंतकाल नहीं खुल पा रहा था। आगे स्वीकार किया है कि जमीन मालिक ने कभी भी कब्जा संभलाने से मना नहीं किया। आगे स्वीकार किया है कि जब रजिस्ट्री करवायी तब तक इस जमीन पर कोई केस नहीं चल रहा था।

15- गवाह पी.ड.-5 राकेश फर्द गिरफ्तारी का साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 2 साल पहले की बात है। पुलिस ने उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है।

16- गवाह पी.ड.-6 बालमुकुन्द हल्का पटवारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 29.05.2020 को पटवार हल्का बन्या में पटवारी के पद पर कार्यरत रहते हुए, वृताधिकारी खानपुर के प्रतिवेदन पर उसने ग्राम बन्या की खाता सं.-133, 130, 165 की आराजी का राजस्व रिकार्ड पुलिस को दिया था। खाता सं.-133 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर द्वारा स्टे होने के कारण उस पर उसके द्वारा परमानन्द व उदयलाल के स्थान पर कजोडीबाई पत्नी गोपाल, जाति भील के पक्ष में नामान्तरण नहीं खोला था। खाता सं.-130 की जमाबन्दी प्रदर्श पी.-7, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी.-8, खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी.-9 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। खाता सं.-133 की जमाबन्दी प्रदर्श पी.-10, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी.-11, खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी.-12 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। खाता सं.-165 की जमाबन्दी प्रदर्श पी.-13, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी.-14, खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी.-15 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जब तक विवादित आराजी की रजिस्ट्री हुयी तब तक उस पर कोर्ट का कोई स्टे अथवा स्थगन आदेश नहीं था। आगे स्वीकार किया है कि उदयलाल व परमानन्द द्वारा जिन आराजी की रजिस्ट्री करवायी गयी वह रिकार्ड में उन्हीं के नाम पर थी। आगे स्वीकार किया है कि खाता संख्या 130, 165 पर कजोडीबाई का नामांकन दर्ज हो गया था। आगे स्वीकार किया है कि खाता संख्या 133 पर यदि स्टे नहीं आता तो उस पर भी कजोडीबाई का नामांकन दर्ज हो जाता।

17- गवाह पी.ड.-7 भंवरसिंह अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.03.2020 को सी.ओ. खानपुर के पद पर तैनात रहते हुए, थाना सारोला के प्रकरण सं.-23/2020, अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. व 3 एस. सी./ एस.टी.एक्ट की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुयी। उसके द्वारा पूर्व अनुसंधान अधिकारी दुर्गाशंकर जी द्वारा किये गये अनुसंधान की ताईद करते हुए, गवाहान गोपाल, सीताराम, लालचन्द, छीतरलाल, कजोडीबाई के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। फर्द जब्ती दो स्टाम्प प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। स्टाम्प प्रदर्श पी.-4 व 5 है। दौराने अनुसंधान मुलजिम परमानन्द उर्फ पप्पूलाल के विरूद्ध धारा 420, 406 भा.दं.सं. व 3 एस. सी./एस.टी.एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर मुलजिम को जरिये फर्द गवाहान की मौजूदगी में गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ई से एफ उसके, जी से एच मुलजिम, ए से बी व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है। इसके बाद उसका स्थानान्तरण हो जाने से प्रकरण की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु श्योजीराम सी.ओ. खानपुर के सुपुर्द की थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि दौराने अनुसंधान उसकी जानकारी में आया कि रजिस्ट्री करवाने के बाद जमीन को लेकर खानपुर एस.डी.एम. अदालत में राजस्व दावा पेश किया गया था। इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है कि रजिस्ट्री होने से पूर्व जमीन को लेकर कोई विवाद था या नहीं या न्यायालय में कोई दावा पेश किया हुआ था या नहीं। आगे स्वीकार किया है कि स्टाम्प प्रदर्श पी.-4 व 5 पर स्टाम्प वेंडर के हस्ताक्षर है, लेकिन नोटेरी के हस्ताक्षर एवं सील मोहर नहीं है।

18- गवाह पी.ड.-8 दुर्गाशंकर प्रारम्भिक अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 03.02.2020 को थाना सारोला में ए.एस.आई. के पद पर तैनात रहते हुए, थाना सारोला के प्रकरण सं.-23/2020, अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुयी। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान फरियादिया कजोडीबाई के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। इसके उपरान्त वह निलंबित हो गया, जिस कारण उसने पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु सी.ओ. खानपुर श्री भंवरसिंह जी हाडा को सुपुर्द की थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसने इसमें इसके अलावा और कोई भी अनुसंधान नहीं किया था।

19- गवाह पी.ड.-9 राजीव परिहार अन्तिम अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 01.11.2020 को वृत्ताधिकारी, वृत्त खानपुर के पद पर कार्यरत रहते हुए, उसे थाना सारोला के प्रकरण सं.-23/2020, अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. व धारा 3-2(Va) एस.सी./एस.टी. एक्ट की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाहान बालमुकुन्द के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने कार्यालय ग्राम पंचायत मालनवासा पंचयत समिति खानपुर जिला झालावाड का 25.12.2020 को क्रमांक-spl-1 प्राप्त किया था जो ग्राम पंचयात सरपंच रोशनलाल गुर्जर द्वारा दिया गया था जो प्रदर्श पी.-16 है, जिस पर ए से बी ग्राम पंचयत सरपंच रोशनलाल व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। यासीन मोहम्मद पुत्र रोशन अली, जाति मुसलमान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अग्रिम जमानत होने के कारण उसने उसके अनुसंधान के दौरान पूछताछ की मुलजिम उदयलाल पुत्र श्यामलाल की मृत्यु दिनांक 09.12.2020 को हो जाने के कारण बफोदगी मुलजिम में अपराधी मान बाद अनुसंधान आरोपी परमानंद पुत्र श्यामलाल नाई, निवासी चेतावा व यासीन मोहम्मद पुत्र रोशन अली, निवासी सारोली के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. व धारा 3-2(Va) एस.सी./एस.टी. एक्ट में मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु पत्रावली थानाधिकारी थाना सारोला को सुपुर्द की थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि दौराने अनुसंधान आरोपी द्वारा उसे किसी प्रकार की कोई राशि बरामद नहीं करायी तथा ना ही बालमुकुन्द द्वारा उसे कोई रिकार्ड बरामद नहीं करवाया गया। आगे स्वीकार किया है कि उदयलाल और परमानंद द्वारा जिन आराजी की रजिस्ट्री करवायी थी वे आराजी रिकार्ड उन्हीं के नाम दर्ज थी।

20- गवाह पी.ड.-10 सोजीलाल अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 29.09.2020 को वृत्ताधिकारी वृत खानपुर के पद पर कार्यरत रहते हुए, उसे थाना सारोला के प्रकरण सं.-23/2020, अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. व धारा 3-2(Va) एस.सी./एस.टी. एक्ट की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। यासीन मोहम्मद पुत्र रोशन अली, जाति मुसलमान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अग्रिम जमानत होने के कारण उसने उसके अनुसंधान के दौरान पूछताछ की थी। उसका स्थानांतरण हो जाने के कारण उसने पत्रावली श्री राजीव परिहार जी वृताधिकारी को सुपुर्द कर दी थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा

की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया हैं।

21- अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 तथा तहरीरी रिपोर्ट कर्ता कजोड़ीबाई गवाह पी.ड.-1 के रूप में हुए सशपथ बयानों का अवलोकन किया जाये, तो पी.ड.-1 कजोड़ीबाई ने उसकी तहरीरी रिपोर्ट की ताईद करते हुए कहा है कि इसने नाईयों की जमीन खरीदी थी जिसका भुगतान बबल्या मुसलमान को कर दिया था तथा 12 बीघा जमीन खरीदना बताती है तथा कहती है कि 4 बीघा जमीन की रजिस्ट्री इसके नाम कर दी थी, परन्तु कब्जा नहीं दिया तथा जिन व्यक्तियों से जमीन खरीदी, उनके नाम पते याद नहीं होना कहती है। प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करती है कि जिनसे जमीन खरीदी यह नहीं जानती तथा जमीन खरीद के पैसे भी इसके सामने नहीं दिये गये तथा जिस मुसलमान को इसने रूपये दिये थे, उसने जमीन विक्रेताओं को पैसे दिये या नहीं यह इसकी जानकारी में नहीं है। साथ ही यह स्वीकार करती है कि एस.डी.ओ. न्यायालय खानपुर में मुकदमा चल रहा है, जिसमें स्टे हो रहा है तथा स्टे के कारण शेष जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई तथा खानपुर वाले मुकदमें में स्वयं का पक्षकार होना भी स्वीकार करती है तथा प्रदर्श डी.-1 उदयलाल व परमानन्द द्वारा करवायी गयी जमीन की रजिस्ट्री पर स्वयं के फोटोग्राफ व अंगूठा निशानी होना स्वीकार करती है। प्रदर्श डी.-1 का अवलोकन किया जाये तो प्रदर्श डी.-1 विक्रेता उदयलाल व परमानन्द द्वारा उस सभी भूमि का बेचान कजोड़ीबाई के पक्ष में किये जाने बाबत् निष्पादित किया गया व रजिस्ट्री करवायी गयी है, जिस जमीन को तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 के अनुसार कजोड़ीबाई उनसे खरीदना बताती है। अतः उक्त दस्तावेज परिवादिया पी.ड.-1 कजोड़ीबाई के इस कथन का खण्डन होता है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करवायी गयी। यहां तक कि परिवादिया के पति गवाह पी.ड.-2 गोपाल ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने 12 बीघा की रजिस्ट्री करवा दी थी, जिसमें से साढ़े 4 बीघा का इंतकाल इनके नाम खोला गया था, लेकिन कब्जा नहीं मिला तथा परमानन्द व उदयलाल ने उस जमीन पर आने से व कब्जा संभलाने से कभी मना नहीं किया तथा यह स्पष्ट करता है कि जमीन पर आने से रोकने वाले अन्य लोग थे तथा यह भी स्वीकार करता है कि खानपुर राजस्व न्यायालय ने जमीन पर स्टे लगा रखा है। गवाह पी.ड.-3 लालचन्द स्टाम्प प्रदर्श पी.-4 व प्रदर्श पी.-5 का गवाह है, जो कहता है कि जब इसके मामाजी गोपाल ने परमानन्द व उदय से जमीन का सौदा किया, लेकिन जमीन का सौदा करने के बाद उक्त जमीन पर

राजस्व न्यायालय में केस चला तो इसके मामाजी ने इसे बुलाया और बबलू व उदयलाल से विवादित आराजी के संबंध में स्टाम्प प्रदर्श पी.-4 व प्रदर्श पी.-5 लिखवाया, जिस पर इसके हस्ताक्षर है। स्टाम्प प्रदर्श पी.-4 व प्रदर्श पी.-5 का अवलोकन किया जाये तो प्रदर्श पी.-5 उक्त सौदे के तथाकथित मध्यस्थ के रूप में अभियुक्त मोहम्मद यासीन द्वारा लिखा गया है तथा स्टाम्प प्रदर्श पी.-4 पर अभियुक्त परमानन्द द्वारा लिखा गया है। प्रदर्श पी.-4 स्टाम्प पर अभियुक्त परमा-नन्छ ने यह लिखा है कि स्टे होने के कारण वह जमीन कजोड़ीबाई को नहीं दे पा रहा है और यदि यह कजोड़ीबाई को जमीन नहीं देता है तो बदले में हनुमान जी के मन्दिर के पास इसका मकान व इसके भाई का मकान कजोड़ीबाई के नाम कर देगा या 27,00,000/-रूपये अदा करेगा। लगभग इसी प्रकार का इकरारनामा मध्यस्थ मोहम्मद यासीन द्वारा प्रदर्श पी.-5 पर लिखा गया है। उक्त् गवाह पी.ड.-3 लालचन्द द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जमीन मालिक ने कभी भी जमीन पर आने से इन्कार नहीं किया तथा खानपुर वाले केस में न्यायालय ने जमीन पर स्टे दे रखा है तथा कहता है कि जब यह लोग इंतकाल खुलवाने गये, तब पटवारी ने कहा कि जमीन पर केस लगा है, लेकिन जब इन्होंने सौदा किया, तब कोई केस नहीं था। गवाह पी.ड.-4 सीताराम भी अपने बयानों में कहता है कि इसके मामाजी गोपाल ने जमीन की रजिस्ट्री मामीजी के नाम करवायी थी। जमीन का कब्जा इसके मामाजी को नहीं संभलाया और ना ही पैसे वापस दिये व बाद में जमीन पर उनके किसी रिश्तेदार ने स्टे ले लिया तथा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि स्टे के कारण इंतकाल नहीं खुल पा रहा था तथा जमीन मालिक ने कभी भी कब्जा संभलाने से मना नहीं किया। साथ ही यह भी स्वीकार करता है कि जब मुलजिमान ने रजिस्ट्री करवायी, तब तक इस जमीन पर कोई केस नहीं चल रहा था। गवाह पी.ड.-6 बालमुकुन्द तत्कालीन पटवारी के रूप में परीक्षित हुआ है, जो विवादित भूमि के नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी प्रदर्श पी.-7 लगायत प्रदर्श पी.-15 पेश करते हुए दौराने प्रतिपरीक्षा स्वीकार करता है कि जब तक विवादित आराजी की रजिस्ट्री हुई, तब तक उस पर कोर्ट का कोई स्टे अथवा स्थगन आदेश नहीं था तथा उदयलाल व परमानन्द द्वारा जिस आराजी की रजिस्ट्री करवायी गयी, सह रिकार्ड में उन्हीं के नाम पर थी तथा खाता सं.-130, 165 पर कजोड़ीबाई का नामांकन दर्ज हो गया था और यदि स्टे नहीं होता तो खाता सं.-133 पर भी कजोड़ीबाई का नामांकन दर्ज हो जाता। गवाह पी.ड.-7 भंवरसिंह अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अनुसंधान के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है।

22- इस प्रकार स्वयं परिवादिया पी.ड.-1 कजोड़ीबाई व परिवादिया के पति पी.ड.-2 गोपाल व उसके परिवाद के सदस्य पी.ड.-3 लालचन्द व पी.ड.-4 सीताराम के बयानों व पटवारी पी.ड.-6 बालमुकुन्द के बयानों से व इकरारनामा प्रदर्श डी.-1 के अवलोकन से यह जाहिर है कि अभियुक्त परमानन्द व फौत अभियुक्त उदयलाल द्वारा जिस भूमि का बैचान जरिये प्रदर्श डी.-1 परिवादिया कजोड़ीबाई को किया, उसे विक्रय करने के लिये वे रिकार्ड के अनुसार सक्षम थे तथा बैचान की दिनांक तक उस जमीन पर कोई स्थगन आदेश नहीं था तथा उसके उपरान्त अभियुक्त परमानन्द के रितेश्दारों द्वारा राजस्व न्यायालय में वाद पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया। जिस कारण परिवादिया के पक्ष में खसरा सं.-130, 165 के अलावा शेष जमीन का नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका। अतः अभियोजन की ओर से आयी साक्ष्य से कहीं भी यह दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा बेईमानी पूर्वक परिवादिया के साथ छल या आपराधिक न्यास भंग का कोई अपराध कारित किया हो और ना ही अभियुक्त मोहम्मद यासीन की कोई आपराधिक भूमिका साबित करने में अभियोजन सफल रहा है। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध यह सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 29.09.2017 को परिवादिया कजोड़ीबाई को कपटपूर्वक या बेईमानी से बन्या स्थित विवादित आराजी 12 बीघा 02 बिस्वा भूमि का सौदा अभियुक्त यासीन मोहम्मद के माध्यम से 27,00,000/-रूपये में तय कर उक्त रकम प्राप्त कर स्टाम्प पर लिखा-पढ़ी की और तत्पश्चात् उक्त भूमि में से केवल चार बीघा की ही रजिस्ट्री परिवादिया के नाम करवाई व शेष भूमि परिवादिया के नाम नहीं करवाकर उक्त राशि परिदत्त करने हेतु परिवादिया को उत्प्रेरित कर छल किया तथा परिवादिया द्वारा उक्त रकम की मांग करने पर अभियुक्तगण द्वारा रकम नहीं लौटाकर अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग किया। अतः अभियुक्तगण उन पर आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्तगण 1- परमानन्द पुत्र श्यामलाल, उम्र 57 वर्ष, निवासी चितावा व 2- यासीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद यासीन उर्फ बबलू पुत्र रोशन अली, उम्र 42 वर्ष, निवासी सारोला कलां, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा 420, 406 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त

घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं।

2- प्रकरण में अभियुक्त **उदयलाल** पुत्र श्यामलाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी चितावा, पुलिस थाना सारोला कलां, जिला-झालावाड़ (राज.) की मृत्यु होने से उसके विरूद्ध दिनांक 17.03.2021 को प्रकरण की समस्त कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

3- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मजरूबा को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **12.03.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KAMLESH TAILOR
Steno Gr. I "Authenticate document" Digitally signed by KAMLESH TAILOR
Date: 2026.03.19 16:13:28 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।